न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 12/2015
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. भरत आयु 11 वर्ष,
2. सुश्री वंदना आयु 16 वर्ष,
3. सुश्री इन्दु आयु वर्ष,
4. सुमेर आयु 9 वर्ष आत्मजन श्री रामस्वरूप, नायक द्वारा प्राकृतिक माता श्रीमती मंजू धर्मपत्नी श्री रामस्वरूप, नायक, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर. .....**वादीगण**

बनाम

1. रामकुमार एवं
2. रामस्वरूप आत्मज श्री गुरदयालराम आत्मज श्री रामचन्द्र, नायक, दुल्लापुरकेरी,
3. श्रीमती गुड्डीदेवी आत्मजा श्री गुरदयालराम धर्मपत्नी श्री कृष्णलाल, नायक, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ,
4. श्रीमती हमलाज आत्मजा श्री गुरदयालराम धर्मपत्नी श्री सुखदेव, नायक, चक 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर
5. श्रीमती सुमित्रा आत्मजा श्री गुरदयालराम धममनीराम आत्मजन स्व. श्री बीरबलराम, सुथार, रोहिड़ांवाली,
6. श्रीमती विनोद आत्मजा श्री गुरदयाराम धर्मपत्नी श्री वकीलचन्द, नायक, चक 3 ई छोटी, एस.एस.बी. रोड, श्रीगंगानगर,
7. श्रीमती रोशनी आत्मजा श्री गुरदयालराम धर्मपत्नी श्री कालूराम, नायक, चक 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर,
8. अनिल,
9. सुनील एवं
10. नवीन आत्मजन श्रीमती माया आत्मजा श्री गुरदयालराम आत्मज श्री पृथ्वीराज नायक, चक 3 ई छोटी, एस.एस.बी.रोड, श्रीगंगानगर,
11. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,
12. राजकुमार आत्मज श्री मोहनलाल, नायक, 52/4 ए सुरजीतसिंह कालोनी, श्रीगंगानगर.

.....**प्रतिवादीगण**

उपस्थिति– श्री राजाराम बिश्नोई (वादीगण)
श्री सर्वजीतसिंह (प्रतिवादी–1से10)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रतिवादी–12)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–11)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 07 सितम्बर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/79 मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 9 से 13, किला नम्बर 18 से 23 कुल 3.097 हैक्टर कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष

भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादीगण के दादा श्री गुरदयाल आत्मज श्री रामचन्द्र, नायक, दुल्लापुरकेरी को भारत–पाक विभाजन पर पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा बतौर नॉन क्लेमेन्ट आवंटित की गयी थी. जिसके लिये स्व. श्री गुरदयाल द्वारा ही भारत सरकार के साथ निर्धारित प्रारूप में इकरारनामा किया गया तथा किश्तों का भुगतान करने पर आवंटी के रूप में श्री गुरदयालराम आत्मज श्री रामचन्द्र के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गयी. वादीगण के दादा श्री गुरदयाल की मृत्यु हो चुकी है जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में दो विवाह सर्वश्रीमती जमना एवं श्रीमती सोनादेवी से किये गये जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है. श्री गुरदयालराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं स्व. श्रीमती माया आत्मजा श्री गुरदयालराम कुल 8 सदस्य हैं श्रीमती म3ाया की मृत्यु हो चुकी है. जिनसे जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 से 10 हैं. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 श्री रामस्वरूप का 1/8 हिस्सा बना. प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का अपने पिता श्री रामस्वरूप के 1/8 हिस्सा में से 4/5 हिस्सा बना. पैतृक सम्पत्ति होने से दादा की सम्पत्ति में वादीगण का उसमें जन्म से ही हक व अधिकार है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा में भी वादीगण का 4/5 हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गलत लोगों के प्रभाव में गलत संगत में गलत आदतों का शिकार होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि को गलत तौर पर अन्तरित करने में प्रयासरत है, जबकि पैतृक सम्पत्ति का विभाजन करवाये बिना किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं किया जा सकता. यदि किसी प्रकार का कथित अभिलेख बनाया गया हो, यद्यपि अभी तक ऐसे किसी कथित अभिलेख की जानकारी नहीं हुई, किन्तु ऐसा कथित अभिलेख वादीगण के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है. इस प्रकार वादीगण अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर अपने हिस्से को पृथक से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. वादीगण अव्यस्क हैं, प्रश्नगत कृषि भूमि में उनका हिस्सा उनके जन्म से ही बनता है, को प्रतिवादी संख्या 2 को किसी भी प्रकार से विधि अनुसार अन्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है. वादीगण द्वारा प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया गया कि वह प्रश्नगत कृषि भूमि को पैतृक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से ही 4/5 हिस्सा मानकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाये तथा प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व रहें किन्तु टालमटोल करते हुऐ दिनांक 26 फरवरी, 2015 को साफ इन्कार हो गये. यही वादहेतुक उपलब्ध है जिसके लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. प्रश्नगत कृषि भूमि पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटित है तथा डी.पी. एण्ड सी.आर. अधिनियम री–पील हो चुका है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 के अनुसार भारत सरकार से सम्बद्व कृषि भूमि राजस्थान सरकार की बन चुकी है इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि पर राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान ही लागू होते हैं. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/79 मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12 एवं किला नम्बर 13(0. 10) बीघा, किला नम्बर 18 से 23 कुल 3.097 हैक्टर पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा होने के परिदृश्य प्रतिवादी संख्या 2 के 1/8 हिस्सा में से 4/5 हिस्सा बनता है, के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने, पृथक लगान एवं मामला कायम

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फर्स्ट टेक) श्रीगंगानगर

आवेदक सदैव इकरारनामा की शर्त की पालना में विक्रय विलेख पंजीबद्व करवाने के लिये तैयार था किन्तु विक्रेता द्वारा सन्द द्वारा नहीं करवायी गयी. चूंकि राज्य सरकार द्वारा जो कृषि भूमि, बिना सन्द के विक्रय की गयी है., को नियमित किये जाने का प्रावधान लागू किया गया है. जिसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा पुर्नवास विभाग के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है. विचाराधीन प्रकरण के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सांजबोज करके माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है. वादीगण एवं प्रतिवादीगण को इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि आवेदक द्वारा उल्लेखित कृषि भूमि क्रय की गयी है जिसका कब्जा भी आवेदक के पास है. तदोपरान्त भी, सही तथ्यों को छिपा कर माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है. न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश का प्रत्यक्ष प्रभाव आवेदक के अधिकारों पर पड़ेगा. आवेदक प्रभावित पक्षकार है इसलिये आवेदक को विचाराधीन वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि आवेदक अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके तथा माननीय न्यायालय को निर्णय करने में सुविधा हो सके. इस प्रकार आवेदक द्वारा विचाराधीन प्रकरण में प्रतिपक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में दस्तवेज इकरारनामा कृषि भूमि दिनांक 09 अप्रेल, 2010, कार्यालय उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को सम्बोधित पत्रांक 2507 दिनांक 18 सितम्बर, 2013 एवं पटवारी हल्का दुलापुरकेरी द्वारा जारी प्रतिवेदन दिनांक 15 सितम्बर, 2012 की चित्रित प्रतिलिपियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 2010 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार उल्लेखित कृषि भूमि के विक्रय करने का तथाकथित सौदा रामकुमार एवं रामस्वरूप द्वारा किये जाने का कथन किया गया है जबकि विचाराधीन वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है. आवेदक श्री राजकुमार को वादीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार से कार्यवाही करने का कानूनन हक न होने से वह किसी भी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं है. आवेदक श्री राजकुमार, कथित इकरारनामा के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय में रामकुमार एवं रामस्वरूप के विरूद्व संविदा की पालना का वाद लाकर कार्यवाही कर सकता है न कि विचाराधीन प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है. वादीगण द्वारा श्री राजकुमार के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये आवेदक आवश्यक पक्षकार नहीं है. वादीगण की जानकारी के अनुसार रामकुमार एवं श्री रामस्वरूप द्वारा कभी किसी भी कृषि भूमि का राजकुमार को विक्रय किया गया है व न ही कानूनन वे विक्रय करने के ही पात्र हैं. आवेदक श्री राजकुमार द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि खातेदारी सन् जारी नहीं हुई है. इसी प्रकार किसी गैर खातेदारी कृषि भूमि की बाबत सन्द जारी होने से पूर्व विक्रय नहीं किया जा सकता. इस प्रकार कथित इकरारनामा शूरू से ही शून्य है तथा राजकुमार को कोई हक एव अधिकार हासिल नहीं होते हैं. व न ही श्री राजकुमार का उल्लेखित कृषि भूमि पर कब्जा ही है. वादीगण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा चाही गयी है तथा घोषणा की डिक्री पारित होने के बाद यदि रामकुमार एवं रामस्वरूप के नाम कोई भूमि दर्ज होती है तो राजकुमार उनके विरूद्व सक्षम न्यायालय में सिविल वाद ला सकता है. अतः मौजूदा वाद में वह किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं है व न ही उसको वादीगण के विरूद्व कोई वादकरण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

ही प्राप्त है. इस प्रकार आवेदक आवश्यक पक्षकार नहीं है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 द्वारा विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार किसी भी प्रकरण के विनिश्चय हेतु प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का यथोचित अवसर दिया जाना आवश्यक है. विचाराधीन प्रकरण में चूंकि आवेदक श्री राजकुमार द्वारा इकरारनामा जिसमें सर्वश्री रामलाल, ओमप्रकाश, विनोदकुमार एवं श्री गुरदयाल की पुत्रियां गुड्डी, माया, सुमित्रा, हमलाज, रोशनी, विनोद द्वारा सहमति से हस्ताक्षतिर है, के अनुसार केता है. ऐसी स्पष्ट स्थिति में, आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक श्री राजकुमार को प्रतिपक्षकार के रूप में स्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 6 जनवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत चक 5 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संया 81/79 की 3.097 हैक्टर कृषि भूमि श्री गुरदयाल आत्मज श्री रामचन्द्र को बतौर नॉन क्लेमेन्ट आवंटित की गयी थी. इस तथ्य की जानकारी से इन्कार किया गया कि श्री गुरदयाल द्वारा दो विवाह किये गये थे. किन्तु श्री रामकुमार, श्री रामस्वरूप आत्मजन श्री गुरदयालराम द्वारा अपनी इच्छा एवं परस्पर सहमति से, जिसमें उनकी समस्त बहिनों द्वारा भी सहमति दी गयी थी, प्रश्नगत कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर कृषि भूमि का इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 को विक्रय किया जाकर विक्रय प्रतिफल राशि 7,00,000.00 में से राशि 5,50,000.00 नगद प्राप्त कर साक्षीगण के समक्ष इकरारनामा निष्पादित कर विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 12 को सौंप दिया गया. इसलिये वादीगण का विक्रयाधीन कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहता है. चूंकि वादीगण के पिता द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि को विक्रय किया जा चुका है इसलिये वादीगण को कोई अधिकार शेष नहीं रहता है. आज दिनांक तक भी प्रश्नगत कृषि भूमि की सनद जारी नहीं की गयी है इसलिये विचाराधीन वादपत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. **अतिरिक्त आपत्तियो** में अंकित किया गया कि चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि की आज दिनांक तक सनद जारी नहीं की गयी है इसलिये विचाराधीन वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बद्व नहीं है. प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा पुर्नवास विभाग, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदनपत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–निष्क्रान्ति भूमि, 1963 तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 2009 की धारा 5(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन चला आ रहा है ऐसी स्थिति में, विचाराधीन वादपत्र पोषणीय नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में इकरारनामा सौदा कृषि भूमि दिनांक 9 अप्रेल, 2010, उपतहसीलदार, हिन्दूमलकोट द्वारा जारी पत्रांक 2507 दिनांक 18 सितम्बर, 2013 मय सलंग्नक मूल पत्रावली संख्या 78/2012 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/79 मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 13, किला नम्बर 18 से 23 कुल 3.097 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण जन्म से ही हकदार हैं? .....वादीगण

2. क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं? ....वादीगण

3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर के विक्रय इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 को परिवार की सहमति से निष्पादित किया गया है जिसकी बाबत राजस्थान भू–आवास निष्क्रान्त भूमि, 1963 तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09 अक्तूबर, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है? .....प्रतिवादी–12

4. अनुतोष ?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री मोहनसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे जिरह की गयी. साक्ष्य वादी हेतु अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री राजकुमार, श्री ओमप्रकाश, श्री विनोदकुमार एवं श्री रामलाल द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनसे जिरह की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 2 मई, 2017 अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1क एवं 3 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा चक 5 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 एवं किला नम्बर 13(0.10) कुल 1.644 हैक्टर दिनांक 09 अप्रेल, 2010 द्वारा क्रय किया गया है. प्रतिवादी द्वारा उक्त इकरारनामा की स्टाम्प डयूटी जमा करवा दी है इस प्रकार इकरारनामा दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 को पंजीबद्व किया गया है. इसलिये इकरारनामा को अभिलेखों पर लिया जाना आवश्यक है जो पहले पेश नही हो सका था. राजकीय अभिलेख है. इसलिये इकरारनामा एवं रसीद को पत्रावली पर लिया जाने के आदेश हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में इकरारनामा सौदा कृषि भूमि दिनांक 09 अप्रेल, 2010 एवं स्टाम्प शुल्क की रसीद की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादीगण की ओर से जवाब आवेदपनपत्र दिनांक 16 मई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद दोनों पक्षों की पूर्ण सुनवाई होने के पश्चात अन्तिम बहस के लिये निर्धारित है. दस्तावेज इकरारनामा प्रदर्श–1 पूर्व से ही पत्रावली में उपलब्ध है जिसकी बाबत समस्त साक्ष्य अभिलिखित हो चुकी हैं. यह इकरारनामा वादपत्र प्रस्तुत होने

से पूर्व भी प्रतिवादी के कब्जा में था. वादपत्र में साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात पंजीकरण शुल्क जमा होकर पंजीकृत करवाने के कथन किये गये हैं. सुनवाई समाप्त होने के बाद की गयी कोई भी कार्यवाही प्रकरण के गुण दोष को प्रभावित करने वाली हो तो उसे अभिलेखों पर नहीं लिया जपा सकता. प्रतिवादी अपने दोष एवं कमी की पूर्ति न्यायालय से करवाने का अधिकारी नहीं है. आदेश 8 नियम 1क एवं 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान विचाराधीन पत्रावली के इस स्तर पर लागू नहीं होते हैं. तथा धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता वहीं लागू होती है जहां कानून में कोई प्रावधान न हों. अभिलेख प्रस्तुत करने का प्रावधान आदेश 8 व्यवहार प्रकिया संहिता में स्पष्ट है. इस प्रकार आवेदनपत्र आधारहीन एवं विधि के विरूद्व होने के कारण मात्र सुनवाई में देरी करने के उदेश्य से ही प्रस्तुत किया गया है, जिसे सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा आवेदक श्री राजकुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 8 अक्तूबर, 2015 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तथ्यों के समर्थन में इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 प्रस्तुत किया गया है. तत्पश्चात, श्री राजकुमार द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र दिनांक 6 जनवरी, 2016 के तथ्यों के समर्थन में पुनः इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 प्रस्तुत किया गया है. इसके अतिरिक्त, श्री रामलाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्परूप प्रमाणित शपथपत्र के तथ्यों के समर्थन में इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 प्रस्तुत किया गया है. जिसे साक्ष्यों में प्रदर्श–1 चस्पा किया गया है. एक ही अभिलेख इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 तीन बार प्रस्तुत किया जाकर प्रदर्श–1 भी करवाया जा चुका है. तथा पत्रावली में पक्षकारान की साक्ष्य पूर्ण की जाकर पत्रावली बहस के लिये निश्चित की गयी है. जिसके बाद दिनांक 2 मई, 2017 को विचाराधीन आवेदनपत्र मय अभिलेख प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं होने के कारण आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया.

प्रतिवादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 14 मार्च, 2018 अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार उक्त शीर्षक के वादपत्र में प्रतिवादी को आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के विनिश्चिय के अनुसार प्रतिपक्षकार बनाया गया है जिसके द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया है.वादीगण द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 7 में कथन किया गया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि कस्टोडियन विभाग से डी.पी.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित की गयी तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 के बिन्दु संख्या 7 में कथन किया गया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है. अतः इस न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं है. इसी प्रकार अतिरिक्त आपत्तियों के बिन्दु ग में स्पष्ट कथन किया गया है कि वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है इसलिये वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित विवाद्यकों में प्रतिवादी द्वारा अंकित आपत्ति की बाबत कोई विवाद्यक निर्धारित नहीं किया गया है जबकि आपत्ति पर विवाद्यक निर्धारित किया जाना आवश्यक है.क्योंकि विचाराधीन वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बद्व नहीं है. इसलिये उक्त

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

आपत्ति की बाबत विवाद्यक निर्धारित किया जाना आवश्यक है. विवाद्यक किसी भी स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है. इस विवाद्यक के अभाव में प्रतिवादी न्याय से वंचित हो सकता है. प्रस्तावित विवाद्यक – क्या वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार उक्त प्रस्तावित विवाद्यक निर्धारित करने का निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही करने के कथन हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 18 जून, 2018 द्वारा जवाब आवेदनपत्र बन्द किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2018 द्वारा विचाराधीन वादपत्र, जवाब वादपत्र के तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि गैर खातेदारी अर्थात पुनर्वास विभाग से सम्बद्ध है जिसकी खातेदारी सनद जारी नहीं की गयी है. किन्तु *विचाराधीन वादपत्र में साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की जाकर* पत्रावली वास्ते बहस हेतु निश्चित की गयी. पत्रावली के अनुसार प्रतिवादी संया 10 द्वारा जवाब वादपत्र में उक्त कथन प्रस्तुत किये गये हैं. आदेश 14 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसार विवाद्यकों की रचना पक्षकारों के अभिवचनों से ही की जाती है. चूंकि प्रतिवादी संख्या 10 के अभिवचनों से स्पष्ट है कि वर्णित बिन्दू का उल्लेख किया गया है. जबकि पत्रावली बहस की स्तर पर विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र राशि 500.00 कॉस्ट पर स्वीकार किया गया.

यथा निम्नलिखित संशोधित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/79 मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 13, किला नम्बर 18 से 23 कुल 3.097 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण जन्म से ही हकदार हैं? ...वादीगण
2. क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं?...वादीगण
3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर के विक्रय इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 को परिवार की सहमति से निष्पादित किया गया है जिसकी बाबत राजस्थान भू–आवास निष्क्रान्त भूमि, 1963 तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09 अक्तूबर, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है? .....प्रतिवादी–12
4. अनुतोष ?
5. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि गैर खातेदारी होने के कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में वादपत्र पोषणीय नहीं है? .....प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (उपखण्ड अधिकारी) श्रीगंगानगर

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

2018 DNJ (Rev.) 31 State of Rajasthan thru Tehsildar, Hindaun Distt. Karauli vs. Amarsingh Dhakar & ors.
2013 RRD 79 Biharilal & ors vs Mangya@Mangilal & anr
2017(2) RRT 907 Kamlesh Bawari (Smt) vs Ranjeetsingh& ors.
2017 RRD 233 Luniyawas Girh Niran Sahakari Samiti Ltd. vs State of Rajasthan & ors

का ससम्मान अवलोकन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/79 मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 13, किला नम्बर 18 से 23 कुल 3.097 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण जन्म से ही हकदार हैं?

....**वादीगण**

चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 के अनुसार खाता संख्या 81/79 मुरब्बा नम्बर 46 की 3.097 हैक्टर कृषि भूमि श्री गुरदयाल आत्मज श्री रामचन्द्र, नायक के नाम पर गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग दर्ज है. श्री गुरदयाल की मृत्योपरान्त उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं स्व. श्रीमती माया के वरिसान प्रतिवादी संख्या 8 से 10 हैं. जिसमें वादीगण के पिता श्री रामस्वरूप का 1/8 हिस्सा बनता है. किन्तु श्री रामकुमार, श्री रामस्वरूप आत्मजन श्री गुरदयाल द्वारा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 सालम एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर कृषि भूमि मय पानी रास्ता, खाला, दरखतान, पेड़, पौधे एवं झाड़ियों को विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 श्री राजकुमार आत्मज श्री मोहनलाल, नायक, 52/4 ए, सुरजीतसिंह कालोनी, श्रीगंगानगर के पक्ष में निष्पादित कर कुल विक्रय राशि 7,00,000.00 में से अग्रिम राशि 5,50,000.00 नगद प्राप्त किये गये है. यहां यह तथ्य अंकित किया जाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इकरारनामा दिनांक 9 अप्रेल, 2010 के पृष्ठ संख्या 2 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि भूमि मय पानी का कब्जा विसाखी, 2010 को खरीदार को दिया जावेगा. इसके अतिरिक्त, इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 के पृष्ठ भाग पर अथवा उसके बाद किसी भी प्रकार की मजीद तहरीर नहीं की गयी है. जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 12 को अन्तरित नही किया गया. यद्यपि गैर खातेदारी कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं किया जा सकता. किन्तु क्रेता श्री राजकुमार द्वारा भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 की धारा 5(2) क के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी पुर्नवास विभाग के समक्ष नियमितीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 78/2012 की बाबत जारी पत्रांक 13/1283 दिनांक 23 अगस्त, 2013 के सन्दर्भ में कार्यालय उप तहसीलदार, हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को सम्बोधित पत्रांक राजस्व/2507 दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1 व 2(0.506), किला नम्बर 9(0.

253), किला नम्बर 10(0.240), किला नम्बर 11(0.240), किला नम्बर 12(0.240) एवं किला नम्बर 13/1(0.126) हैक्टर भूमि पिछले लगभग 2–2½ वर्षो से राजकुमार पुत्र मोहनलाल, नायक, श्रीगंगानगर काश्त करना बताया है. कुल 3.097 हैक्टर भूमि में से राजकुमार के कब्जे की भूमि को छोड़ कर शेष मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 18 से 23 पर श्री गुरदयाल के वारिसान काश्त करना बताया. जिसके समर्थन में राजस्व पटवारी द्वारा जारी घटना बही दिनांक 15 सितम्बर, 2012 की चित्रित प्रति सलंग्न की गयी है. इस प्रकार वादीगण जो श्री रामस्वरूप के वारिसान हैं, श्री रामस्वरूप द्वारा कृषि भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय करने के पश्चात किसी भी प्रकार से प्रश्नगत पैतृक कृषि भूमि में हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 –क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं?
.....वादीगण

श्री रामकुमार एवं श्री रामस्वरूप आत्मजन श्री गुरदयाल द्वारा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 सालम एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर कृषि भूमि मय पानी रास्ता, खाला, दरखतान, पेड़, पौधे एवं झाड़ियों को विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 श्री राजकुमार आत्मज श्री मोहनलाल, नायक, 52/4 ए, सुरजीतसिंह कालोनी, श्रीगंगानगर के पक्ष में निष्पादित कर कुल विक्रय राशि 7,00,000.00 में से अग्रिम राशि 5,50,000.00 नगद प्राप्त किये गये है. इसके अतिरिक्त, इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 के पृष्ठ भाग पर अथवा उसके बाद किसी भी प्रकार की मजीद तहरीर नहीं की गयी है. जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 12 को अन्तरित नही किया गया. यद्यपि गैर खातेदारी कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं किया जा सकता. किन्तु केता श्री राजकुमार द्वारा भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 की धारा 5(2) क के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी पुर्नवास विभाग के समक्ष नियमितीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. जिसके परिदृश्य वादीगण जो श्री रामस्वरूप के वारिसान हैं, श्री रामस्वरूप द्वारा कृषि भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय करने के पश्चात किसी भी प्रकार से प्रश्नगत पैतृक कृषि भूमि में हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं. ऐसी स्थिति में, वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 3 –क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर के विक्रय इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 को परिवार की सहमति से निष्पादित किया गया है जिसकी बाबत राजस्थान भू–आवास निष्क्रान्त भूमि, 1963 तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09 अक्तूबर, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है? ....प्रतिवादी–12

श्री रामकुमार एवं श्री रामस्वरूप आत्मजन श्री गुरदयाल द्वारा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 सालम एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर कृषि भूमि मय पानी रास्ता, खाला, दरखतान, पेड़, पौधे एवं झाड़ियों को विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 श्री राजकुमार आत्मज श्री मोहनलाल, नायक, 52/4 ए, सुरजीतसिंह कालोनी, श्रीगंगानगर के पक्ष में निष्पादित कर कुल विक्रय राशि 7,00,000.00 में से अग्रिम राशि 5,50,000.00 नगद प्राप्त किये गये है. इसके अतिरिक्त, इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 के पृष्ठ भाग पर अथवा उसके बाद किसी भी प्रकार की मजीद तहरीर नहीं की गयी है. जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 12 को अन्तरित नही किया गया. साक्ष्य प्रतिवादी श्री रामलाल द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में यह कथन किया गया है कि इकरारनामा के समय पांच बहने आयी थी, उन्होने इकरारनामा पर अंगूठे लगाये थे, साक्ष्य प्रतिवादी श्री राजकुमार द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में यह कथन किया गया है कि इकरारनामा प्रदर्श–डी.1 पर दो बहनों ने अंगूठे किये थे, जो कि माया एवं गुड्डी थी. इकरारनामा प्रदर्श–डी.1 पर उपर का अंगूठा गुड्डी एवं निचला अंगूठा माया का है. साक्ष्य प्रतिवादी श्री विनोद द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में यह कथन किया गया है कि इकरारनामा के समय मैं, ओमप्रकाश, रामलाल, राजकुमार व इनकी 3, 4 बहिनें आयी थी. इस प्रकार यह तथ्य सिद्व है कि इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेली, 2010 परिवार की सहमति से निष्पादित किया गया है. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 78/2012 की बाबत जारी पत्रांक 13/1283 दिनांक 23 अगस्त, 2013 के सन्दर्भ में कार्यालय उप तहसीलदार, हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को सम्बोधित पत्रांक राजस्व/2507 दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1 व 2(0.506), किला नम्बर 9(0.253), किला नम्बर 10(0.240), किला नम्बर 11(0.240), किला नम्बर 12(0.240) एवं किला नम्बर 13/1(0.126) हैक्टर भूमि पिछले लगभग 2–2½ वर्षो से राजकुमार पुत्र मोहनलाल, नायक, श्रीगंगानगर काश्त करना बताया है. कुल 3.097 हैक्टर भूमि में से राजकुमार के कब्जे की भूमि को छोड़ कर शेष मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 18 से 23 पर श्री गुरदयाल के वारिसान काश्त करना बताया. जिसके समर्थन में राजस्व पटवारी द्वारा जारी घटना बही दिनांक 15 सितम्बर, 2012 की चित्रित प्रति सलंग्न की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की बाबत राजस्थान भू–आवास निष्क्रान्त भूमि, 1963 तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09 अक्तूबर, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 5 –क्या प्रश्नगत कृषि भूमि गैर खातेदारी होने के कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में वादपत्र पोषणीय नहीं है? **.....प्रतिवादीगण**

चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 के अनुसार खाता संख्या 81/79

मुरब्बा नम्बर 46 की 3.097 हैक्टर कृषि भूमि श्री गुरदयाल आत्मज श्री रामचन्द्र, नायक के नाम पर गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग दर्ज है. जिसकी बाबत आज दिनांक तक भी खातेदारी सन्द जारी नही की गयी है. जिसकी बाबत 2018 DNJ (Rev.) 31 State of Rajasthan thru Tehsildar, Hindaun Distt. Karauli vs. Amarsingh Dhakar & ors. में स्पष्ट किया गया है कि पुर्नवास भूमि पर धारा 88 एवं 188 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इस प्रकार गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग की भूमि पर विचाराधीन वादपत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार प्रथमतः श्री रामकुमार एवं श्री रामस्वरूप आत्मजन श्री गुरदयाल द्वारा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 सालम एवं किला नम्बर 13(0.126) हैक्टर कुल 1.664 हैक्टर कृषि भूमि मय पानी रास्ता, खाला, दरखतान, पेड़, पौधे एवं झाड़ियों को विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 09 अप्रेल, 2010 श्री राजकुमार आत्मज श्री मोहनलाल, नायक, 52/4 ए, सुरजीतसिंह कालोनी, श्रीगंगानगर के पक्ष में निष्पादित कर कुल विक्रय राशि 7,00,000.00 में से अग्रिम राशि 5,50,000.00 नगद प्राप्त किये गये है. यद्यपि गैर खातेदारी कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं किया जा सकता. किन्तु केता श्री राजकुमार द्वारा भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 की धारा 5(2) क के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी पुर्नवास विभाग के समक्ष नियमितीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. जिसके परिदृश्य वादीगण जो श्री रामस्वरूप के वारिसान हैं, श्री रामस्वरूप द्वारा कृषि भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय करने के पश्चात किसी भी प्रकार से प्रश्नगत पैतृक कृषि भूमि में हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं. द्वितीय, चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 के अनुसार खाता संख्या 81/79 मुरब्बा नम्बर 46 की 3.097 हैक्टर कृषि भूमि श्री गुरदयाल आत्मज श्री रामचन्द्र, नायक के नाम पर गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग दर्ज है. वादीगण, गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग की भूमि पर विचाराधीन वादपत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण वादपत्र के माध्यम से, किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.